

**कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)**

क्रमांक : 1329


दिनांक : 31.10.2023

**--: कार्यालय आदेश :-**

वर्ष 2023 के माह नवम्बर में दिनांक 30.11.2023 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु झुन्झुनू न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को अधिकृत किया जाता है-

| क्रम संख्या | दिनांक     | नाम/मजिस्ट्रेट दर्जा  |
|-------------|------------|---|
| 01          | 05.11.2023 | श्री विशाल व्यास, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नवलगढ़              |
| 02          | 10.11.2023 | श्रीमती रीतिका चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू |
| 03          | 11.11.2023 | श्रीमती रीतिका चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू |
| 04          | 12.11.2023 | श्रीमती रीतिका चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू |
| 05          | 13.11.2023 | श्री दीपक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी                       |
| 06          | 14.11.2023 | श्री दीपक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी                       |
| 07          | 15.11.2023 | श्री दीपक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी                       |
| 08          | 19.11.2023 | श्री प्रतीक दाधीच, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी                     |
| 09          | 25.11.2023 | श्री तुषार विश्णोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना                     |
| 10.         | 26.11.2023 | श्री तुषार विश्णोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना                     |
| 11.         | 27.11.2023 | श्री तुषार विश्णोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना                     |

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त झुन्झुनू न्यायक्षेत्र के लिए श्रीमती नीतू रानी न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा की ड्यूटी लगाई जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. **उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किया जाने के उपरांत ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा। जिसकी कड़ाई से पालना की जावे और इस बाबत अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।**
4. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
5. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।


  
(पुरवा चतुर्वेदी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक : 1342

दिनांक : 31.10.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी/चिड़ावा/खेतड़ी/बुहाना
4. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नवलगढ़।
5. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
6. प्रभारी अधिकारी वायरलैस शाखा, झुन्झुनू।
7. अध्यक्ष, बार संघ, झुन्झुनू।
8. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
9. कोर्ट मैनेजर, झुन्झुनू उपरोक्त समस्त पीठासीन अधिकारियों को मेल करने बाबत।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(पुरवा चतुर्वेदी) 31/10/23  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
झुन्झुनू (राज.)